

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-13 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

04 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में जनपद गोण्डा के थाना छपिया पुलिस ने 01, थाना खोड़ारे पुलिस ने 02 व थाना कौड़िया पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. तिलका पत्नी संतराम नि० नरायनपुर खटकहिया थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-412/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

02. थाना को० मनकापुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. भोपाल पुत्र रामबहादुर नि० अम्बरपुर थानाको० मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-483/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 27.08.2023

नशीली गोलियों के साथ शातिर अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 27.08.2023 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त संदीप शुक्ला को लखनऊ रोड गायत्रीपुरम चौराहा के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 68 अल्प्राजोलम की नशीली गोलिया बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 नगर में एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. संदीप शुक्ला पुत्र ओंकारनाथ शुक्ला नि0 भटवलिया पोस्ट बड़गांव थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-752/23, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास—

01. मु0अ0सं0-235/2019, धारा 379,411 भादवि थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-401/2019, धारा 379,411 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0-867/19, धारा 379,411 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0-878/2019, धारा 411,413,419,420,467,468 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
05. मु0अ0सं0-935/2019, धारा 379,411 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
06. मु0अ0सं0-428/21, धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
07. मु0अ0सं0-208/21, धारा 4/25 आर्म्स ऐक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 68 अल्प्राजोलम टैबलेट।

गिरफ्तार कर्ता—

उ0नि0 भानु प्रताप सिंह मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 27.08.2023

अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री का भण्डाफोड 02 अदद निर्मित, 01 अदद अर्द्धनिर्मित असलहा व असलहा बनाने के उपकरणों सहित 04 अभियुक्त गिरफ्तार :-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र के निर्माण, बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे जिसके क्रम में थाना को0मनकापुर व स्वाट की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में दिनांक 26/27.08.2023 की रात्रि को थाना को0मनकापुर व स्वाट की संयुक्त टीम क्षेत्र भ्रमण में रवाना होकर थाना क्षेत्र के पीलखाना तिराहे के पास मौजूद थी कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बड़कामऊ में निर्मल कोरी के मडहे में अवैध शस्त्र बनाने का कार्य चल रहा है। इस सूचना पर पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुँचकर दबिश देकर 04 अभियुक्तों-01. मो0 शब्बीर, 02. सुबेदार शेख, 03. शिवम यादव, 04. विश्राम यादव को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 02 अदद अवैध तमंचा 12 बोर, 01 अदद अर्द्धनिर्मित तमंचा 315 बोर व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किये गये। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग निर्मल कोरी के साथ मिलकर अपने भौतिक एवं आर्थिक लाभ हेतु अवैध तमंचा बनाने व बिक्री करने का काम किया करते हैं। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना को0मनकापुर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. मो0 शब्बीर पुत्र मो0 जमी नि0 रफीनगर मोहल्ला थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।
02. सुबेदार शेख पुत्र सलीम नि0 शेखपुरवा थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।
03. शिवम यादव पुत्र राजेन्द्र यादव नि0 भवानी सिंह पुरवा मजरा अशरफपुर थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।
04. विश्राम यादव पुत्र बुद्धिराम नि0 बड़कामऊ थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी विवरण-

01. 02 अदद अवैध तमंचा 12 बोर।
02. 01 अदद अर्द्धनिर्मित तमंचा 315 बोर।
03. शस्त्र बनाने के उपकरण।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-484/23, धारा 3/5/8 आर्म्स एक्ट थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. प्र0नि0 को0 मनकापुर सुधीर कुमार सिंह मय टीम।
02. उ0नि0 सर्वजीत गुप्ता मय स्वाट टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 27.08.2023

लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का वांछित अभियुक्त मिशन शक्ति अभियान के तहत गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त-अंकित पाण्डेय को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना नवाबगंज क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना नवाबगंज में अभियोग पंजीकृत हुआ था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. अंकित पाण्डेय पुत्र कृष्ण कुमार पाण्डेय उर्फ बडकऊ पाण्डेय नि० सरांवा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-410/23, धारा 363,366 भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ०नि० साहेब कुमार मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 27.08.2023

नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के कटहवा नहर पुलिया के पास संदिग्ध प्रतीत होने पर अभियुक्त राकेश को रोकटोक कर चेक किया गया तो उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कटराबाजार में आर्म्स ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. राकेश पुत्र शिवकुमार लोध नि० माधपुरवा मौजा बनगांव थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-442/23 धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद नाजायज चाकू।

गिरफ्तार कर्ता—

01. हे०का० मुनीब यादव।

02. का० अभय वर्मा।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 27.08.2023

नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का वांछित अभियुक्त मिशन शक्ति अभियान के तहत गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना तरबगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त—शिवबचन यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना तरबगंज क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना तरबगंज में अभियोग पंजीकृत हुआ था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. शिवबचन यादव पुत्र हीरालाल यादव नि० ग्राम खाले शीशौ मुरावनपुरवा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—268/23, धारा 363,366 भादवि 17/18 पॉक्सो ऐक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ०नि० संदीप वर्मा मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 27.08.2023

थाना कटराबाजार पुलिस ने नशीली गोलियों के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार को किया गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 27.08.2023 को थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त प्रीतम कश्यप को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 300 अल्प्राजोलम की नशीली गोलिया बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कटराबाजार में एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. प्रीतम कश्यप पुत्र रामचन्द्र नि0 ग्राम डेलई पुरवा मौजा असरना थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-444/23, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास—

01. मु0अ0सं0-131/2006, धारा 376,506,394 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-114/2013, धारा 41/109 सी0आर0पी0सी0 थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0-509/19, धारा 294 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0-65/2019, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
05. मु0अ0सं0-198/2020, धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
06. मु0अ0सं0-383/21, धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
07. मु0अ0सं0-455/22, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
08. मु0अ0सं0-391/23, धारा 354,323,504,506 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 300 अल्प्राजोलम टैबलेट।

गिरफ्तार कर्ता—

उ0नि0 धीतेन्द्र सिंह मय टीम।